न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आ.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 27/2023

कन्हैयालाल पिता रंगलाल सुनार निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चितौडगढ़ (राज0)
प्रार्थी

बनाम

1– भंवरवाई पत्नि रेवन्तसिंह राजपूत निवासी चेनपुरिया तह0 बेगूँ
2– रेवन्तसिंह पिता झुझारसिंह राजपूत निवासी चेनपुरिया तह0 बेगूँ
3– श्री भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक :– 27.03.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा अन्तर्गत धारा 2 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम चेनपुरिया राजगढ़ में प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं कृषि आराजीयात स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रक है :–

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में
3	61/45	1.4000 हैक्टर

यह कि उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित कृर्षि भूमि पर आने जान के लिए आराजी संख्या 36 रक 2000 हैक्टर किस्म बंजड जो कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकोर्ड है उक्त रास्ते अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के पास प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर आने के लिए नही है।

यह कि माननीय न्यायालय श्रीमान आप में पूर्व में प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया था जिसमें प्रार्थी को विपक्षीगण आराजी संख्या 37, 41, 42, 44 में रास्ता कायम किया जाकर पत्रावली फैसल हो गई है ले सहवन से भूलवश आराजी संख्या 36 में रास्ता अंकन कराना रहा गया था।

यह कि प्रार्थी दिनांक 20.03.2022 को उक्त रास्ते से होकर निकलने लगे तो विपक्षी सं 1 व 2 ने उक्त रास्ते से निकलने बाबत मना कर दिया और लडाई झगडा करने पर उतारू हुए धमकी दी कि उक्त रास्ते से निकले तो मारपीट कर रोकेगें तुम्हारा यहॉ कोई रास्ता नहीं विपक्षीगण द्वारा मना कर देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रार्थी उक्त रास्ता घोषित कराने का वैद्य अधिकारी है इसके लिए प्रार्थी नियमानुस न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार धारा 251(क) की समस्त शर्तो की पालना करने को तैयार तत्पर है विपक्षी सं. 1 व 2 के द्वारा रास्ते से निकले मना कर देने से यह प्रार्थना पत्र न्यायाल श्रीमान आप में पेश करने की आवश्यकता हुई है। अगर प्रार्थी के पक्ष में उक्त रास्ता घोषित न किया गया तो प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि आराजी पर आ जा नहीं सकेगें, काश्त नहीं सकेगी जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसके विपरीत विपक्षीगण को कोई नुकसान न होगा क्योकि प्रार्थी धारा 251 (क) की समस्त शर्तो की पालना कर विपक्षीण्गा के लिए निश्चित रा (मुआवजा)अदा करने को तैयार एवं तत्पर है।

यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित सम्पति ग्राम चेनपुरिया प.ह. राजगढ तह. बेगूँ में स्थित होने प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार न्यायालय श्रीमान आपको होकर प्रार्थना पत्र न्यायाल समायत आप में है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाक विपक्षीगण की मौजा चैनपुरिया प.ह. राजगढ में स्थित खसरा संख्या 36 की पूर्व दिशा में से होक प्रार्ाी की खातेदारी की आराजी मौजा चेनपुरिया प.ह. राजगढ के खसरा संख्या 61/45 रकबा 1 4000 में रास्ता पहुँचता है को कायम किया जाकर 8 मीटर लम्बर व 4 मीटर चौडाई तक रास्ते क धारा 251 (क) के तहत विस्तारित किये जाने का आदेश प्रदान करावे एवं रेवेन्यू रिकोर्ड में भी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

संलग्न है, पत्रावली में विपक्षीगण न्यायालय में नियत अवधि मे उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये एवं प्रकरण में रास्ता सम्बन्धी मौका रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को पत्र लिखा गया, इस पत्रावली में तहसीलदार बेगूँ की ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा जरिये पत्र कमांक /भू.अ./2024/16 दिनांक 03.01.2024 के साथ रास्ता संलग्न निरीक्षक वृत राजगढ की रिपोर्ट एवं पर्चामौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी क साथ प्रस्तुत की है, हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, पर्चामौका रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के ग्राम चेनपुरिया के आराजी नम्बर 61/45 रकबा 1.40 हैक्टर श्री कन्हैयॉलाल, कौशल्या देवी, लीलादेवी पिता रंगलाल सुनार श्रीमती मदनीबाई पत्नी स्व. रंगलाल सुनार सा. बस्सी खातेदार के नाम हिस्सा बराबर दर्ज रिकोर्ड हैं। आराजी नम्बर 61/45 से आराजी नम्बर 36 तक पूर्व में न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) महोदय बेगूँ के आदेश से रास्ता बिलानाम दर्ज हो चुका है जिसके आराजी नम्बर कमशः 96/44, 94/42, 92/41, 90/37 दर्ज रिकार्ड है। आराजी नम्बर 36 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि जो वर्तमान रिकोर्ड में श्रीमती भंवरबाई पत्नी रेवनसिंह हिस्सा 1/2 एवं रेवन्तसिंह पुत्र झुझांर सिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा.देह . आराजी नम्बर 36 में (4 मीटर गुणा 8 मीटर) रास्ता हेतु आवश्यक है जो निम्न नजरी नक्शा अनुसार दिया जाना अपेक्षित है। नजरी नक्शा में प्रार्थी के खाते की आराजी संख्या 37, 41, 42, 44 को तो रास्ते हेतु पूर्व मं इसी न्यायालय के आदेश से बिलाना रास्ता कायम किये जाने हेतु आदेश दिये गये है किन्तु आराजी संया 37 से पूर्व ही आराजी संख्या 36 है को रास्ता हेतु बिलानाम नहीं किया जाने से प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र लाया गया है, नजरी नक्शा के अवलोकन अनुसार आम रास्ता आराजी संख्या 50 के ही लगता हुआ आराजी संख्या 36, 37, 41, 42, 44 से होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 61/45 पर रास्ता पहुँचता है, आराजी संख्या 36 में 4 मीटर चौडा एवं 8मीटर लम्ब रास्ता की आवश्यक होना रिपोर्ट में बताते हुए कुल 4 गुणा 8 यानि 32 वर्गमीटर – 0.032 हैक्टर पर्चामौका में अंकित किया गया है। साथ ही मौका रिपोर्ट साथ संलग्न रास्ते के उपयोग हेतु ग्राम चैनपुयिा प.ह. राजगढ की आराजी नम्बर 36 मे से 32 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित होने से डी एल.सी 2491540/– है, तथा डी.एल.सी. का दुगुना 2491540 गुणा 2– 4983080 कुल मुआवज राशि 4983080/10000 गुणा 32– 15946 पूर्णांक 15950/–रूपये होना अंकित किया है तथ जमाबंदी अनुसार भंवरबाई पत्नी रेवन्तसिंह राजपूत का हिस्सा 1/2 उनके मुआवजा राशि 7975/– तथा रेवन्तसिंह पुत्र झुझारसिंह राजपूत का हिस्सा 1/2 उनके मुआवजा राशि 7975/– कुल रा 15950/– होने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है।

पत्रावली में प्राप्त रास्ता मौका रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात अधिवक्ता प्रार्थी की ए तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया । अधिवक्ता प्रार्थी श्री अशोक कुमार शर्मा ने अपनी बहस क प्रार्थना पत्र के अनुसार ही करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी के आराजी संख्या 61/45 पर पहुं हेतु विपक्षी सं. 1 व 2 के खाते की आराजी संख्या 36 रकबा 0.2000 किस्म बंजड भूमि से प्रा की आराजी पर पहुँच हेतु 4 मीटर चौडा एवं 8 मीटर लम्बा रास्ता कायम किये जाने का आदे फरमाने की कृपा करें प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की डी.एल.सी अनुसार मुआवजा राशि विपक्षीग को अदा करने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 251ए प्रावधानो की शर्तो की पाल करने हेतु तैयार है। अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि मेरे प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में इसी न्यायालय में विपक्षी के खातेदारी की आराजी संख्या 96/44, 94/42, 92/41, 90/37 प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पहुँच हेतु रास्ता के उपयोग में लिये जाने का आदेश दिया गया किन्तु भूलवश आराजी संख्या 36 का उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए नया प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा प्रार्थना 251 ए एवं उसके साथ संलग्न सभी दस्तावेज एवं रास्ते के सम्बन्धी मौका रिपोर्ट का भी अवलो किया गया है, जैसा कि प्रार्थना पत्र में भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में इसी न्या में विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया गया था, जिसे इसी न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए विपक्षीगण के खातेदारी आराजी संख्या 96/44, 94/42, 92/41, 90/37 मे से प्रार्थी के खाते की आराजी संख्या 61 पर पहुँच हेतु रास्ता कायम किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये थे, किन्तु पूर्व प्रार्थना में विपक्षीगण आराजी संख्या 36 का अंकन नहीं हुआ था जो कि आम रास्ता आराजी संख्या 5 से होता हुआ प्रार्थी

मौका में अंकित नजरी नक्शा के अवलोकन से भी स्पष्ट हो जाता है कि आम रास्ता आराज संख्या 50 के पूर्व में लगी हुई आराजी संख्या 36 से होकर ही प्रार्थी विपक्षीगण की अन्य आराजी र होकर अपनी कृषि आराजी पर पहुँच सकते है, इस प्रकार इसी न्यायालय में प्रार्थी एवं विपक्षीगण क आराजी को लेकर पुनः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए पर हमारी विनम्र राय अनुसा "रेसज्यूडीकेटा" का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग पाया जाता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीक किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी की आराजी मौजा चेनपुरिया प.ह. राजगढ की आराजी संख 61/45 रकबा 1.40 हैक्टर भूमि में पहुँच हेतु विपक्षीगण की आराजी मौजा चेनपुरिया प.ह. राजग की आराजी संख्या 36 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि से 4 मीटर चौडा व 8 मीटर लम्बा यानि कुल व वमर्गमीटर –0.0032 हैक्टर भूमि का उपयोग सार्वजनिक रास्ता हेतु उपयोग में लिये जाने हे प्रार्थी द्वारा भूमि की डीएल.सी. दर की दुगनी राशि कुल 15950/– रूपयें विपक्षीगण को दिये ज हेतु तहसीलदार, बेगूँ के कार्यालय में जमा कराये जाने पर विपक्षीगण की आराजी संख्या 36 मे 32 वर्गमीटर भूमि मे रास्ता कायम किया जाने की स्वीकृति दी जाती है। प्रार्थी विपक्षीगण कम भंवरबाई पत्नी रेवन्तसिंह राजपूत के हिस्से 1/2 के लिए राशि 7975/– व विपक्षी रेवन्तसि पुत्र झझारसिंह राजपूत के हिस्से 1/2 के लिए राशि 7975/–रूपये यानि कुल रा 15950/–रूपये तहसील में जमा कराने पर उक्त की आदेश की पालना करते हुए रास्ता काय कर राजस्व अभिलेख में एवं नक्शाट्रेस में भी अंकन किये जाने हेतु के आदेश दिये जाते है। प्रा से उक्त रास्ते हेतु प्राप्त कर विपक्षीगण को नियमानुसार दिये जाने हेतु एवं आदेश की पालना वि जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को निर्देशित किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 27.03.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2024/227 दिनांक :– 22/11/24

प्रतिलिपी तहसीलदार बेगूँ को की पालना हेतु भेजी जाती है।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकार
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़